

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-161) अलेसे-I/11045-53

दिनांक:- 13-01-2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)(सेवानिवृत्त) अलेसे- I/7682-7886 दिनांक

05.01.15 तथा आदेश संख्या 130/2014-15 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में क्रम संख्या 84 पर अंकित श्री सत्यनारायण शर्मा (लिंक नं. 6296) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.16 से सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में
वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त /नियम /2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्यनारायण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन /लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-161) अलेसे-I/11045-53 दिनांक:- 13-01-2016

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

(डॉ मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)